न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/429

1. रामलटूर आत्मज माधो जी जाति मीना ।
2. प्रभूलाल आत्मज माधो जी जाति मीना निवासीगण ग्राम नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रघुनाथ आत्मज रामचन्द्र जाति मीना ।
2. हेमराज आत्मज रामचन्द्र जाति मीना ।
3. रामेश्वर आत्मज रामचन्द्र जाति मीना ।
4. सत्यनारायण आत्मज रामकल्याण जाति मीना ।
5. धनपाल आत्मज रामकल्याण जी जाति मीना ।
6. रमेश आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासीगण ग्राम नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नीमली की आराजी खसरा नम्बर 151 की 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट के सहमति से हस्ताक्षर करवाए और उक्त निर्णय उसके पक्ष में होना बताया परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा नकल निकलवाई तो मालूम हुआ है कि वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जिस पर नकल हेतु दिनांक 16.08.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है जिसे प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण ने भी स्वीकार किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने का नोटिस प्राप्त हुआ जिस पर वह राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुए और अपीलान्ट द्वारा सहमति के हस्ताक्षर भी करवाए और उससे कहा कि तुम्हारा वाद डिक्री हो गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनिय में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट के सहमति से हस्ताक्षर करवा लिए और वाद डिक्री करने का कहा था परन्तु उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कानून के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । नस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है । करण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा